

कार्यकारी सार

अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन

माल एवं सेवा कर पर सीएजी के प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन¹में, हमने जीएसटी को आरंभ करने में सरकार तथा अन्य हितधारकों की ऐतिहासिक उपलब्धि को देखा। हमने आगे देखा कि एक क्षेत्र जहां जीएसटी की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं किया गया था वह सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था थी। “इन्वॉयस मिलान” के माध्यम से मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली-वैधीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को कार्यन्वित नहीं किया गया था। विवरणी तंत्र की जटिलता तथा तकनीकी कमियों के परिणामस्वरूप मुख्य जीएसटी विवरणियों को आरंभ नहीं किया जा सका जिससे प्रणाली में आईटीसी धोखाधड़ी का खतरा पैदा हुआ। तदनुसार, हमने प्रौद्योगिकीय समाधानों का उपयोग करते हुए विधिवत सरलीकृत विवरणी फार्मों को प्रस्तुत करके सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था की सिफारिश की थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि सरलीकृत विवरणी फार्मों को आरंभ करने में निरंतर स्थगित तथा निर्णय लेने में देरी के कारण मूल रूप से परिकल्पित “इन्वॉयस मिलान” के माध्यम से प्रणाली-सत्यापित आईटीसी प्रवाह को अभी लागू किया जाना है और एक गैर-अंतर्वेधी ई-टैक्स प्रणाली अभी भी लागू नहीं हुई है। जीएसटी आरंभ के तीन वर्षों से अधिक के बावजूद जीएसटी विवरणी प्रणाली का कार्य अभी तक अर्धनिर्मित है। स्थिर तथा सरलीकृत विवरणी प्रणाली की अनुपस्थिति में जीएसटी प्रणाली के आरंभ के एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् सरलीकृत कर अनुपालन को अभी प्राप्त किया जाना है।

यह सिफारिश की जाती है कि सरलीकृत विवरणी फार्मों को आरंभ करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए और लागू की जानी चाहिए क्योंकि बार-बार होने वाले आस्थगन से विवरणी दाखिल प्रणाली के स्थिरीकरण में देरी हो रही है और जीएसटी ईको-सिस्टम में निरंतर अनिश्चितता बनी हुई है।

(पैराग्राफ 1.4.1)

¹ 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 (अप्रत्यक्षकर- माल एवं सेवा कर)

वित्तीय वर्ष 19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रहण ₹ 16,627 करोड़ तक बढ़ गया। तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि में घटती हुई प्रवृत्ति रहीं। अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि (वाई-ओ-वाई) वित्तीय वर्ष 17 में 21.33 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 20 में 1.76 प्रतिशत तक घट गई। इसके अतिरिक्त, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 17 में 38.95 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 20 में 36.92 प्रतिशत तक घट गया। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय जीएसटी कर² राजस्व वित्तीय वर्ष 19 में 3.08 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 20 में 2.95 प्रतिशत तक घट गया।

(पैराग्राफ 1.3.1 तथा पैराग्राफ 1.3.2.1)

सीबीआईसी को कर अधिकारियों के लिए विस्तृत निर्देशों/मैनुअल पर आधारित विवरणियों की संवीक्षा की प्रभावी प्रणाली को अभी भी लागू करना है। इसके परिणामस्वरूप, विभाग के महत्वपूर्ण अनुपालन कार्यों, जैसाकि कानून द्वारा अधिदेशित किया गया है, को जीएसटी के लागू होने के तीन वर्ष बाद भी अभी प्रभावी रूप से आरंभित किया जाना है।

(पैराग्राफ 1.4.2)

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

31 मार्च 2019 तक स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों³ में बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा अभियुक्तियां अनुपालन के लिए लम्बित थीं। इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया आंतरायिक थी तथा मौलिक नहीं थी जिसके कारण शेष पैराओं का लगातार संचयन हुआ। विभाग ने 31 मार्च 2019 तक लंबित कुल एलएआर लेखापरीक्षा पैराओं के 52 प्रतिशत (13,475) पैराओं का उत्तर नहीं दिया था, जो लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रतिउत्तर देने में विभाग के चिन्ता वाले दृष्टिकोण को दर्शाता है। 31 मार्च 2019 तक 6,474

² जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है।

³ स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रत्येक लेखापरीक्षित विभागीय इकाई को जारी किया जाता है। उनके उत्तरों के आधार पर महत्वपूर्ण अभियुक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है जिन्हें संसद में रखा जाता है।

(48 प्रतिशत) पैराओं में विभाग का उत्तर तीन वर्ष से अधिक के लिए लंबित था।

(पैराग्राफ 2.5.3 एवं 2.5.4)

अध्याय III: जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा

जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II) यह निर्धारण करने के लिए की गयी थी कि क्या जीएसटीएन द्वारा लागू प्रतिदाय तथा विवरणी मॉड्यूलों को जीएसटी व्यवस्था को शासित करने वाले अधिनियमों तथा नियमावली के प्रावधानों तथा प्रणालीगत आवश्यक विशिष्टता (एस आर एस) के अनुसार थे। इसके अतिरिक्त, ई-वे बिल्स मॉड्यूल, जिसे जीएसटीएन के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित किया गया था, की भी समीक्षा की गयी थी।

14 मामलों में, आरंभ किए गये मॉड्यूल में मौजूद मुख्य वैधीकरण/कार्यात्मकता को लागू प्रावधानों के अनुसार नहीं पाया गया था जबकि एस आर एस का सही ढंग से गठन किया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

प्रतिदाय मॉड्यूल

पर्याप्त नियंत्रणों के अभाव, असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय का दावा करने का जोखिम तथा माल के निर्यात पर आईजीएसटी प्रतिदाय के लिए इंडियन कस्टमस ईडीआई सिस्टमस (आईसीईएस) अनुप्रयोग के साथ जीएसटी पोर्टल के एकीकरण में कमियों के परिणामस्वरूप प्रतिदाय मॉड्यूल में निम्नलिखित कमियां थीं:

- जीएसटीआर 2 तथा 3 के स्थगित होने के कारण, परिकल्पित क्रेता विक्रेता मिलान तंत्र को लागू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी प्रतिदाय प्रणाली में निरंतर जोखिम है।

(पैराग्राफ 3.7.3.2)

- करदाताओं के आईटीसी लेजर को पुनः क्रेडिट न करना, जहां कमी-ज्ञापन द्वितीय तथा बाद के अवसरों पर जारी किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.7.3.3)

- भुगतान के बिना (वचन-पत्र) निर्यात के मामलों में स्वीकृत आईटीसी का प्रतिदाय कर के निर्यात के वास्तविक मूल्य से अनुपातहीन रूप से अधिक होना असंगत था।

(पैराग्राफ 3.7.3.4)

- प्रतिदाय आवेदनों की प्रक्रिया करते समय सेज ऑनलाईन के साथ सेज को आपूर्तियों के बीजकोंके समर्थक विवरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

(पैराग्राफ 3.7.3.5)

- बैंक कार्यालय में 'विद-होल्ड' अनुरोध कार्यात्मकता के लागू न होने के कारण गैर-संगत निर्यातकों को आगामी प्रतिदायों की संभावना रहती है।

(पैराग्राफ 3.7.3.6)

- पूंजीगत माल की आईटीसी कटौती करने के लिए स्वतः-बहिष्करण कार्यात्मकता के अभाव में अधिक प्रतिदायों का दावा किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 3.7.3.9)

- संगत प्रविष्टियाँ, जैसे कि विवरण-1ए में दी गई हैं, के साथ विवरण-1 में आपूर्ति के विपरीत दर के टर्नओवर को सत्यापित करने के लिए प्रणाली में वैधीकरण अभाव से प्रतिदायों का अधिक दावा किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.7.3.10)

विवरणी माँड्यूल

हमने विवरणी माँड्यूल में पर्याप्त वैधीकरण के अभाव, जीएसटीआर-3बी में करदाताओं की ब्याज देयता के स्व परिकलन का अभाव तथा एसआरएस के प्रति नियमों की गलत मैपिंग को देखा, जो इस प्रकार है:

- जीएसटीआर-2ए, जोकि कर अधिकारियों के लिए आंतरिक आपूर्ति पर जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, का गलत सृजन जिससे आईटीसी की अनियमित उपलब्धता हो सकती थी।

(पैराग्राफ 3.8.3.3)

- जीएसटीआर-4 के दाखिल करने के संबंध में टर्नओवर पर वैधीकरण का अभाव जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक सीमा समाप्त होने के बाद भी संघटन करदाता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा।

(पैराग्राफ 3.8.3.4)

- प्रति प्रभार प्रणाली (आर सी एम) आधार पर प्राप्त सेवाओं के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए गैर आवासीय करयोग्य व्यक्तियों (एनआरटीपी) के लिए प्रणाली में प्रावधानों का अभाव।

(पैराग्राफ 3.8.3.5)

ई-वे बिल माँड्यूल

- ब्राउजर हेर-फेर के कारण अनिवार्य 72 घंटों की समाप्ति के बावजूद ईडब्ल्यूबी का अस्वीकरण अनुमत किया गया।

(पैराग्राफ 3.9.5.1)

- सेज को या उसके द्वारा आपूर्ति को आईजीएसटी के स्थान पर, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के अन्तर्गत अंतर राज्यीय आपूर्तियों के रूप में दर्ज किया गया था।

(पैराग्राफ 3.9.5.2)

- डाक सूचकांक संख्या (पीआईएन) मास्टर के आवधिक अद्यतनीकरण में निहित कमियों के परिणामस्वरूप पिन कोड पर आधारित दूरी की गलत स्वतः गणना हुई।

(पैराग्राफ 3.9.5.4)

- ईडब्ल्यूबी को उत्पन्न करते समय एक बार दर्ज की गई मात्रा संशोधनीय थी, जिससे परिवहन के बहुवाहनीय तरीके में मूल्यों में असंगति पैदा हुई।

(पैराग्राफ 3.9.5.5)

हमने मंत्रालय/जीएसटीएन के विचारार्थ 26 सिफारिशों की थीं। सिफारिशों हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मॉड्यूलों में पर्याप्त वैधीकरण लागू करने; नियमों/प्रपत्रों में उचित बदलावों; तथा जीएसटी कानूनों तथा नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रणाली में कार्यात्मकताओं के निगमन के संबंध में है।

(पैराग्राफ 3.11)

अध्याय- IV: जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान, हमने मुख्य रूप से ट्रांजिशनल क्रेडिट (अर्थात विरासतीय कर व्यवस्था के सेनवेट क्रेडिट को जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित करना), जीएसटी पंजीकरण तथा प्रतिदायों की लेखापरीक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया। जीएसटी विवरणियों की लेखापरीक्षा अभी प्रारंभ की जानी है क्योंकि 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मूल नियत तिथि, दिसंबर 2018, को सांतरित तरीके से 5/7 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया। इसी प्रकार, 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिए मूल नियत तिथि, दिसंबर 2019, को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया।

(पैराग्राफ 4.1)

भाग-क: ट्रांजिशनल क्रेडिट

डाटा विश्लेषण करने और ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान करने और लेखापरीक्षा के लिए ईकार्डों/मामलों का चयन करने के लिए, हमने राजस्व विभाग को ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित डाटा प्रदान करने के लिए अनुरोध

किया। निरन्तर अनुरोधों के बावजूद, हमें वित्तीय वर्ष 19 तथा वित्तीय वर्ष 20 के दौरान मांगा गया डाटा⁴ प्रदान नहीं किया गया था।

डाटा के अभाव में, हम ईकार्डों में जिन्हें हमने अन्य राजस्व संबंधी जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया था ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की केवल सीमित लेखापरीक्षा ही कर सके। हमें लेखापरीक्षा को ज्यादातर उन ट्रान-1 मामलों तक सीमित करना पड़ा, जिन्हें विभाग द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका था, क्योंकि जीएसटी आईटी प्रणाली के माध्यम से अन्य ट्रान-1 उद्घोषणाओं तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.5)

हमने 81 केन्द्रीय जीएसटी कमिश्नरियों तथा पांच लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में 77,363 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 5,822 मामलों को सत्यापित किया तथा अननुपालन के 1,182 उदाहरणों (20 प्रतिशत) को देखा। हमने इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावों, क्रेडिट के रूप में पूर्व व्यवस्था के उपकर का अनियमित लाभ, सेनवेट क्रेडिट को अधिक अग्रेणित करने, छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित लाभ आदि वाले ₹ 543.70 करोड़ के धनमूल्य के उदाहरणों को देखा।

(पैराग्राफ 4.6.1)

भाग ख: प्रतिदाय

अक्टूबर 2018 से मार्च 2020⁵ की अवधि के दौरान, हमने 33 सीजीएसटी कमिश्नरियों में 23,106 में से 4,736 प्रतिदायों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमने ₹ 16.16 करोड़ की राशि वाले 280 दावों (6 प्रतिशत) में प्रतिदायों की प्रक्रिया में तत्कालीन प्रावधानों की अननुपालना देखी। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही में न्यूनतम शेष पर विचार न करने, पूंजीगत माल पर लिए गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदायों आदि की अनियमित प्रतिदाय स्वीकृति के उदाहरणों को पाया।

(पैराग्राफ 4.7)

⁴ ट्रांजिशनल क्रेडिट डाटा अब जुलाई 2020 में उपलब्ध करवाया गया है।

⁵ सितंबर 2018 तक की लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 में शामिल किया गया है।

भाग ग: जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं

आगरा सीजीएसटी कमिश्नरी के अन्तर्गत अलीगढ़ मंडल के रेंज-1 तथा II में जीएसटीआर-3बी विवरणियों को दाखिल न करने वाले के डाटा की जांच के दौरान (अगस्त/सितंबर 2019), हमने देखा कि 12,694 में से 1,965 करदाताओं ने छः अथवा छः माह से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए अपनी जीएसटी-3बी विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, इन चूककर्ताओं के पंजीकरण को, सीजीएसटी अधिनियम 2017, की धारा 29(2)(बी) तथा (सी) में प्रदान सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 22 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विभाग द्वारा रद्द नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.8.4)

ट्रांजिशनल क्रेडिट,प्रतिदायों तथा जीएसटी/ब्याज के गैर/कम भुगतान की लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के लिए, राज्य माल तथा सेवा कर पर तदनुरूपी प्रभाव को **परिशिष्ट-VII** में दिया गया है।

(पैराग्राफ 4.9)

अध्याय V: सीबीआईसी में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया

हमने वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 14 की अवधि को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 15 में एससीएन तथा विभाग की अधिनिर्णयन प्रक्रिया की जांच की थी,तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सीएजी की 2016 की प्रतिवेदन संख्या-1 (सेवा कर) तथा 2016 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की प्रतिवेदन संख्या-2 में शामिल किया गया था। हमने उपरोक्त प्रतिवेदन पर मंत्रालय की गयी कार्रवाई टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की तथा वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, की गयी कार्रवाई टिप्पणियों में मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद एससीएन को जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में निरंतर अनुपालन विचलनों को देखा।

(पैराग्राफ 5.4)

107 कार्यकारी कमिश्नरियों में से, 48 लेखापरीक्षा कमिश्नरियों तथा डीजीजीएसटीआई की 25 जोनल इकाईयों में से, हमने विभाग के एससीएन

तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया की जांच के लिए 116 विभागीय इकाईयों का चयन किया।

(पैराग्राफ 5.6.1.1)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में एससीएन का निपटान वित्तीय वर्ष 17 में 86.69 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 19 में 72.81 प्रतिशत तक कम हो गया। उसी प्रकार, सेवा कर में एससीएन का निपटान वित्तीय वर्ष 17 में 77.51 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 19 में 51.93 प्रतिशत तक कम हो गया।

(पैराग्राफ 5.7.1)

हमने कानून/नियमों से महत्वपूर्ण विचलनो जैसे कि एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन का देरी से जारी होना, अधिनिर्णयन में देरी आदि को उन एस सी एन की लेखापरीक्षा के दौरान देखा जो 31 मार्च 2019 को अधिनिर्णय के लिए लम्बित थे।

वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 19 के बीच अधिनिर्णीत एससीएन के सम्बन्ध में पायी गयी अनियमितताएं विस्तारित अवधि की गलत मांग, एससीएन को देरी से जारी करने के कारण आंशिक अवधि के लिए मांग का गैर समावेशन, मांग की गलत संगणना, अधिनिर्णयन में देरी, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी, तथा मामलों की फाईल में दस्तावेजों की अनुपलब्धता से सम्बन्धित थीं जिसके परिणास्वरूप मांग आदि में कमी हुई।

31 मार्च 2019 को कॉल बुक में रखे गए एससीएन के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएं आवधिक एससीएन को जारी न करने, कॉल बुक में रखे गये एससीएन में मांग की कम संगणना, काल बुक में एससीएन के गलत हस्तांतरण, कॉल बुक से मामलों की गैर/विलंब पुनः प्राप्ति, कॉल बुक की आवधिक समीक्षा का न करना, तथा कॉल बुक को एससीएन के हस्तांतरण से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न करने से संबंधित थी।

हमने प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के मध्य अपर्याप्त समन्वय, बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में देरी, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा जांच/सत्यापन करने में देरी, सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति में देरी, मामलों की फाईल में अभिलेखों की

अनुपलब्धता आदि की लेखापरीक्षा द्वारा कई अनियमितताओं के कारणों के रूप में पहचान की गयी। इसके अलावा, विभाग ने जीएसटी में परिवर्तन, स्टॉफ की कमी, मामलों का बहुत अधिक लंबित होना, अधिनिर्णयन प्राधिकारी का लगातार परिवर्तन, अभिलेखों के हस्तांतरण में देरी आदि को अधिनिर्णयन में विलम्ब तथा लेखापरीक्षा में पाई गई अन्य अनियमितताओं के कारणों के रूप में माना।

(पैराग्राफ 5.17)

हम निम्नलिखित घटकों के साथ एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के अंत-से-अंत कंप्यूटरीकरण/स्वचालन करने की सिफारिश करते हैं।

(i) एससीएन जारी करने की प्रक्रिया को मांग की सही संगणना, एससीएन का सामायिक जारी होना, विस्तारित अवधि की वैध मांग तथा जारी किए गये एससीएन की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए अंतनिर्हित नियंत्रणों के साथ कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है।

(ii) प्रभावी निगरानी, व्यक्तिगत सुनवाई करवाना तथा अधिनिर्णयन आदेशों को समय पर जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए इनबिल्ट नियंत्रणों के साथ अधिनिर्णयन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण।

(iii) एससीएन का आवधिक जारी होना, कॉल बुक से एससीएन का समय पर पुनः प्राप्त होना, कॉल बुक को मामलों के हस्तांतरण से संबंधित निर्धारिती को सूचित करना, कॉल बुक को एससीएन हस्तांतरण करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन तथा कॉल बुक को वैध मामलों के हस्तांतरण से संबंधित नियंत्रणों की सुनिश्चित करने के लिए इनबिल्ट तंत्र के साथ कंप्यूटरीकरण कॉल बुक के अनुरक्षण, का किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 5.18)

अध्याय VI: कर प्रशासन तथा आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

2018-19 के दौरान, हमने केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर के निर्धारण तथा भुगतान के संबंध में विस्तृत जांच के लिए 827 चयनित रेजों में, 2,939 निर्धारितियों⁶ के अभिलेखों का चयन किया। 2019-20 के दौरान, हमने विस्तृत जांच के लिए 451 चयनित रेजों से 1,471 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया।

(पैराग्राफ 6.2)

कुल 4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा की गयी थी, में हमने 1,562 निर्धारितियों (35.42%) के संबंध में कर कानूनों तथा नियमों के अननुपालन को देखा। हमने, ₹ 1,036.35 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 2,712 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को उठाया। हमने शुल्क/कर के गैर/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग, सेनवेट क्रेडिट का गैर/कम उल्टाव, उपकर का गैर-भुगतान ब्याज का गैर भुगतान आदि के उदाहरणों को देखा।

4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की जांच हमारे द्वारा की गई थी में से 1,244 निर्धारितियों की विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा पहले ही लेखापरीक्षा की गई थी। हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ₹ 420.39 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 594 निर्धारितियों (48 प्रतिशत) से संबंधित 1,104 दृष्टांतों में चूकों का पता लगाने में विफल हो गयी थी।

(पैराग्राफ 6.3)

⁶ निर्धारितियों का चयन उच्च राजस्व, सेनवेट क्रेडिट की उच्च प्रतिशतता, पण्यों/ सेवाओं का स्वरूप, संव्यवहार की प्रकृति, जारी किए गये एससीएन की संख्या, पुष्टिकृत मांग मामले, सीएसी की अंतिम लेखापरीक्षा के वर्ष आदि के आधार पर किया गया था।

